

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक : 19.04.2025

क्रमांक ई 1-01/2025/एक-2:: राज्य शासन एतद्वारा श्री टोपेश्वर वर्मा, भा.प्र.से. (2005), सदस्य, राजस्व मंडल तथा अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है।

2/ श्री जनक प्रसाद पाठक, भा.प्र.से. (2007), आयुक्त, उच्च शिक्षा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, वन विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

3/ श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, भा.प्र.से. (2008), सचिव, वन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, आयुष का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, भा.प्र.से. द्वारा आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

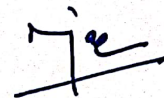
4/ डॉ. प्रियंका शुक्ला, भा.प्र.से. (2009), आयुक्त-सह-संचालक, स्वास्थ्य सेवायें तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को केवल विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

5/ श्रीमती किरण कौशल, भा.प्र.से. (2009), आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, मार्कफेड के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्रीमती किरण कौशल, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, मार्कफेड का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, मार्कफेड के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

6/ श्री अवनीश कुमार शरण, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, गृह निर्माण मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री अवनीश कुमार शरण, भा.प्र.से. द्वारा आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।



2.....

श्री अवनीश कुमार शरण, भा.प्र.से. द्वारा आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री सौरभ कुमार, भा.प्र.से. (2009) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण तथा अति. प्रभार संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश केवल संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। शेष यथावत् रहेगा।

7/ श्री सुनील कुमार जैन, भा.प्र.से. (2009), संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म तथा अति. प्रभार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, खनिज साधन विभाग, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, ऊर्जा विभाग, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है।

श्री सुनील कुमार जैन, भा.प्र.से. द्वारा आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री महादेव कावरे, भा.प्र.से. (2008), आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर तथा अति. प्रभार आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर केवल आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। शेष यथावत् रहेगा।

8/ श्री के. डी. कुंजाम, भा.प्र.से. (2009), सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, तथा अति. प्रभार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सदस्य, राजस्व मंडल के पद पर पदस्थ करता है।

9/ श्री कार्तिकेय गोयल, भा.प्र.से. (2010), कलेक्टर, जिला-रायगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

10/ श्री सारांश मित्तर, भा.प्र.से. (2010), विशेष सचिव, कृषि विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, कृषि को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के पद पर पदस्थ करता है।

11/ श्री पदुम सिंह एल्मा, भा.प्र.से. (2010), आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास तथा अति. प्रभार संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, महिला एवं बाल विकास के पद पर पदस्थ करता है।

12/ श्री रमेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से. (2010), प्रबंध संचालक, मार्कफेड को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

13/ श्री धर्मेस कुमार साहू, भा.प्र.से. (2010), कलेक्टर, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

14/ श्री भूरे सर्वेश्वर नरेन्द्र, भा.प्र.से. (2011), सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग तथा अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक, जल जीवन मिशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव के पद पर पदस्थ करता है।

3.....

15/ श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. (2011), संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के पद पर पदस्थ करता है।

श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. द्वारा मिशन संचालक, जल जीवन मिशन का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत मिशन संचालक, जल जीवन मिशन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

16/ श्री जन्मेजय महोबे, भा.प्र.से. (2011), प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, महिला एवं बाल विकास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला - जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थ करता है।

17/ श्री रिमिजियुस एक्का, भा.प्र.से. (2011), संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर पदस्थ करता है।

18/ श्री रजत बंसल, भा.प्र.से. (2012), आयुक्त, मनरेगा तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, विशेष सचिव, सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम, विशेष सचिव, सुशासन एवं अभिसरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री रजत बंसल, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

19/ श्री तारन प्रकाश सिन्हा, भा.प्र.से. (2012), विशेष सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, मनरेगा के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री तारन प्रकाश सिन्हा, भा.प्र.से. द्वारा आयुक्त, मनरेगा का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत आयुक्त, मनरेगा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

20/ सुश्री इफ्त आरा, भा.प्र.से. (2012), संचालक, आयुष को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर संभागीय आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पदस्थ करते हुए अपर संभागीय आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

4.....

- 21/ सुश्री दिव्या उमेश मिश्रा, भा.प्र.से. (2012), संचालक, लोक शिक्षण तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद, मिशन संचालक, राज्य साक्षरता मिशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बालोद के पद पर पदस्थ करता है।
- 22/ श्री संजय अग्रवाल, भा.प्र.से. (2012), कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है।
- 23/ श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल, भा.प्र.से. (2013), कलेक्टर, जिला-बालोद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के पद पर पदस्थ करता है।
- 24/ श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. (2013), मिशन संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
- श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।
- 25/ डॉ. संतोष कुमार देवांगन, भा.प्र.से. (2013), अपर आयुक्त, भू-अभिलेख, नवा रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, उच्च शिक्षा के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
- डॉ. संतोष कुमार देवांगन, भा.प्र.से. द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत आयुक्त, उच्च शिक्षा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।
- 26/ श्री कुंदन कुमार, भा.प्र.से. (2014), आयुक्त, गृह निर्माण मंडल तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-मुंगेली के पद पर पदस्थ करता है।
- 27/ श्री ऋतुराज रघुवंशी, भा.प्र.से. (2014), संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, लोक शिक्षण के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद, मिशन संचालक, राज्य साक्षरता मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

5.....

28/ सुश्री नुपूर राशि पन्ना, भा.प्र.से. (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव के पद पर पदस्थ करता है।

29/ श्री विजय दयाराम के., भा.प्र.से. (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य कौशल विकास अभिकरण तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य कौशल विकास अभिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री विजय दयाराम के., भा.प्र.से. द्वारा संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

30/ श्री राहुल देव, भा.प्र.से. (2016), कलेक्टर, जिला-मुंगेली को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, कृषि के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, कृषि विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

31/ श्री दीपक कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2016), कलेक्टर, जिला-गरियाबंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पद पर पदस्थ करता है।

श्री दीपक कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. द्वारा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

श्री दीपक कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. द्वारा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री चंदन कुमार, भा.प्र.से.(2011), विशेष सचिव, वित्त विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, संचालक, बजट केवल नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। शेष यथावत् रहेगा।

32/ श्री अरविन्द कुमार एक्का, भा.प्र.से. (2016), अपर कलेक्टर, दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

33/ सुश्री संतन देवी जांगड़े, भा.प्र.से. (2016), अपर कलेक्टर, रायगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

34/ डॉ. संजय कन्नौजे, भा.प्र.से. (2016), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालोद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पद पर पदस्थ करता है।

35/ श्री सुखनाथ अहिरवार, भा.प्र.से. (2016), अपर कलेक्टर, कांकेर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री सुखनाथ अहिरवार, भा.प्र.से. द्वारा सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

36/ श्री भगवान सिंह उइके, भा.प्र.से. (2016), अपर कलेक्टर, अंतागढ़, जिला कांकेर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-गरियाबंद के पद पर पदस्थ करता है।

37/ श्री आकाश छिकारा, भा.प्र.से. (2017), कलेक्टर, जिला - जांजगीर-चांपा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

38/ श्री मयंक चतुर्वेदी, भा.प्र.से. (2017), कलेक्टर, जिला-दंतेवाड़ा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-रायगढ़ के पद पर पदस्थ करता है।

39/ श्री कुणाल दुदावत, भा.प्र.से. (2017), कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थ करता है।

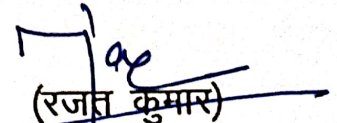
40/ श्री चंद्रकांत वर्मा, भा.प्र.से. (2017), कलेक्टर, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री चंद्रकांत वर्मा, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

41/ श्री अजय कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2019), संचालक, जनसंपर्क को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के पद पर पदस्थ करता है।

श्री अजय कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(रजत कुमार)
सचिव

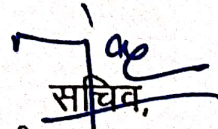
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

नवा रायपुर, दिनांक: 19/04/2025

पृ.क्र.: ई 1-01/2025/एक-2
प्रतिलिपि:-

1. संस्थापन अधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, (कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
2. अनुसंधान अधिकारी (कैरियर मैनेजमेंट), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/गृह एवं जेल/धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
6. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/उच्च शिक्षा/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा/आवास एवं पर्यावरण/खनिज साधन/ऊर्जा/खेल एवं युवा कल्याण/स्कूल शिक्षा/कृषि/सुशासन एवं अभिसरण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
9. अध्यक्ष, छ.ग. राजस्व मंडल, बिलासपुर,
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
11. संभागायुक्त, रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा/बस्तर/दुर्ग, छत्तीसगढ़,
12. आयुक्त, जनसंपर्क/चिकित्सा शिक्षा/नगर तथा ग्राम निवेश/गृह निर्माण मंडल/आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास/मनरेगा/भू-अभिलेख/उच्च शिक्षा/आयुष,

13. संचालक/प्रबंध संचालक/मिशन संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/महिला एवं बाल विकास/पशु चिकित्सा सेवायें/प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण/भौमिकी तथा खनिकर्म/नगरीय प्रशासन एवं विकास/आयुष/लोक शिक्षण/राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद/मार्कफेड/तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण/कृषि/नागरिक आपूर्ति निगम/छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम/अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/जल जीवन मिशन/छ. ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम/राज्य साक्षरता मिशन/राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान,
14. कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव/जांजगीर-चांपा/बालोद/बिलासपुर/खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई/मुंगेली/कोण्डागांव/गरियाबंद/दुर्ग/रायगढ़/सारंगढ़-बिलाईगढ़/कांकेर/दंतेवाड़ा,
15. सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग,
16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण/छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी/छ.ग. राज्य कौशल विकास अभिकरण,
17. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालोद,
18. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
19. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन (स्था./अधी.)/गृह विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
20. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
21. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
22. संबंधित अधिकारीगण/व्यक्तिगत नस्ती/आर्डर बुक,
23. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
24. कोषालय अधिकारी, इंद्रावती/जिला कोषालय, नवा रायपुर अटल नगर/राजनांदगांव/जांजगीर-चांपा/बालोद/बिलासपुर/खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई/मुंगेली/कोण्डागांव/गरियाबंद/दुर्ग/रायगढ़/सारंगढ़-बिलाईगढ़/कांकेर/दंतेवाड़ा,
25. संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रायपुर की ओर अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 सचिव,
 छत्तीसगढ़ शासन,
 सामान्य प्रशासन विभाग